भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2594

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण के आवेदनों के वितरण में समय-सीमा का पालन नहीं किया जाना

2594. श्री एम के राघवन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि बैंक शिक्षा ऋण के वितरण में समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): आरबीआई ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गई आदर्श शिक्षा ऋण योजना, 2022 (अंतिम बार दिनांक 21.3.2024 को संशोधित) को अपनाने की सलाह दी है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा ऋण के संवितरण से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

- सामान्यत: बैंक में सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना दी जाए।
- ऋण आवेदन की अस्वीकृति, यदि कोई हो, अगले उच्चतर प्राधिकारी की सहमति से की जाएगी और अस्वीकृति के कारण का उल्लेख करते हुए छात्र को सूचित किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'मास्टर परिपत्र-ऋण और अग्रिम-सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' पर 01 जुलाई 2015 के परिपत्र सं.बी.बीसी.10/13.03.00/2015-16 के माध्यम से बैंकों को सलाह दी है कि वे उपयुक्त समय-सीमा के साथ ऋण प्रस्तावों के निपटान की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें और विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात लंबित आवेदनों की समीक्षा के लिए एक उपयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करें।

इसके अतिरिक्त, जब कभी शिक्षा ऋणों के संवितरण में समय-सीमा का अनुपालन न किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी शिकायतों को मामला-दर-मामला आधार पर संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

******